फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री ओम प्रकाश भाटी, निवासी डी–137, किर्ती नगर, जोधपुर, जिला जोधपुर (राज.) 342007

–अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढबोर

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 34/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 11.08.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढबोर से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढबोर को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/561–62 दिनांक 27.07.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 17.02.2020 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 02.03.2020 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित वांछित सूचना तहसीलदार गढबोर जिला राजसमन्द की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक क्रमांकः प.1( )सू0 अ0,05/2020/302–03 दिनांक 03.03.2020 को प्रेषित किया गया। प्रार्थी अपीलांट के आवेदन पत्र को जिस दिन कार्यालय/अनुभाग को प्राप्त हुआ, आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर चाही गई सूचना इस कार्यालय की नही होने से उसी दिन संबंधित कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) (I) (II) के तहत अन्तरण कर सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया तथा प्रार्थी अपीलार्थी को भी सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढबोर द्वारा जरिये क्रमांकः भू.अ./ सू0अ0,05/2020/371 दिनांक 10.08.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपील का प्रत्युतर में ग्राम जवालिया के वक्त सेटलमेंट के सम्पूर्ण खसरा की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियॉ तथा ग्राम जवालिया की सम्पूर्ण खसरा की गिरदावरी की प्रमाणित प्रतियॉ अपीलार्थी द्वारा चाही गई थी। जिस बाबत दिनांक 17.03.2020 को पत्र क्रमांक भू.अ./ सू0अ0,05/2020/167 से निर्धारित शुल्क 2520/– जमा करवाने हेतु अपीलार्थी लिखा गया था। राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियो हेतु शुल्क निर्धारित हैं। जमाबंदी प्रत्येक खाते के प्रथम दस खसरा तक 10 रूपये तथा अगले 10 खसरा तक 5 रूपये तथा खसरा गिरदावरी की प्रतिलिपि हेतु प्रति 10 खसरा तक 10 रूपये निर्धारित हैं। इसी अनुसार गणना कर प्रार्थी को 2520/– जमा कराने हेतु पत्र लिखा गया था। प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) जयपुर के पत्रांक प 20(84)प्रसु/सूअप्र,/	

न्यायालय जिला कलक्टर

2009 पार्ट दिनांक 12.10.2018 से स्पष्ट है कि विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियों हेतु जो मूल्य निर्धारित है वह लेने हेतु विशेष अधिनियम के प्रावधान ही लागू होंगे। प्रार्थी द्वारा जमाबंदी एवं खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपियो हेतु निर्धारित शुल्क रूपये 2520/– जमा करवाने पर प्रार्थी को प्रमाणित प्रतिलिपियॉ उपलब्ध करवाई जा सकती हैं।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढबोर की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढबोर की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का निर्धारित शुल्क रूपये 2520/– जमा करवाने पर ही अपीलार्थी को प्रमाणित प्रतिलिपियॉ उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय समय पर कार्यालय तहसीलदार गढबोर में उपस्थित होकर वांछित सूचना की प्रमाणित प्रतियों का निर्धारित शुल्क रूपये 2520/– जमा करवाकर उक्त सूचना प्राप्त करें।

अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाकर निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढबोर को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

कार्यालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)